

निष्पादन बजट वर्ष 2015-16

विभाग- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग  
विभागाध्यक्ष-संचालक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2015-16	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	राशि हजार ₹ में		टिप्पणियां
					वास्तविक उपलब्धियां		
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना	राज्य की 90 प्रतिशत जनसंख्या को खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना	42000000	64 लाख हितग्राही परिवार इस योजना के माध्यम से लाभान्वित होंगे।	59.50 लाख	35147629	हितग्राही परिवार प्रतिमाह
2	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु सहायता	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य/जिला स्तरीय निगरानी समितियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।	10	खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, सहायक खाद्य अधिकारी, खाद्य निरीक्षक एवं उचित मूल्य दुकान स्तर पर गठित निगरानी समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षण हेतु 70 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।	-	-	वर्ष 2015-16 में भारत सरकार से उक्त योजना के आयोजन हेतु राशि प्राप्त नहीं हुआ।
3	सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण	सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण व्यवस्था करना।	20393	उचित मूल्य दुकान को छोड़कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कियाकलापों को कम्प्यूटरीकरण कार्य से सुदृढ किया जावेगा।	-	-	वर्ष 2013-14 में भारत सरकार से प्रथम किशत राशि 3.35 करोड़ प्राप्त हुआ है, जिसका उपयोग योजना के क्रियान्वयन हेतु किया जा रहा है।
4	कोर पीडीएस - "मेरी मर्जी" योजना	योजना का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता सशक्तिकरण है तथा हितग्राही को अपनी पसंद की दुकान से राशन सामग्री प्राप्त करने की सुविधा दिलाना है।	17500	योजना का विस्तार राज्य की उचित मूल्य दुकानों में किया जावेगा।	-	-	भारत सरकार द्वारा राशन दुकानों के कम्प्यूटरीकरण हेतु नवीन योजना के निर्देश जारी किए गये हैं तथा इन निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

निष्पादन बजट वर्ष 2015-16

विभाग- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग  
विभागाध्यक्ष-संचालक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2015-16	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	राशि हजार ₹ में		टिप्पणियां
					वास्तविक भौतिक	उपलब्धियां वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	रियायती दर पर आयोडाईज्ड नमक वितरण	खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चिन्हांकित अन्त्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों के राशनकार्डधारियों को निःशुल्क प्रतिमाह 02 किलो आयोडीनयुक्त नमक उपलब्ध कराया जाता है।	990000	64 लाख राशनकार्ड धारी परिवार इस योजना के माध्यम से लाभान्वित होंगे।	59.95 लाख	241770	हितग्राही परिवार प्रतिमाह
6	अन्नपूर्णा दाल भात केन्द्रों को प्रोत्साहन सहायता	गरीब एवं जरूरतमन्द व्यक्तियों को अत्यन्त कम मूल्य अर्थात् 5 रूपये की दर से भरपेट भोजन उपलब्ध कराना ।	30000	50 नवीन दाल-भात केन्द्रों की स्थापना ।	-	350	
7	अन्नपूर्णा योजना	65 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे की पात्रता रखते हैं किन्तु उन्हें वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, को प्रतिमाह 10 किलो चावल निःशुल्क प्रदाय किया जा रहा है ।	800	योजनांतर्गत 9000 लाभान्वित हितग्राहियों को प्रतिमाह 10 किलो चावल निःशुल्क उपलब्ध कराना ।	8000	679	राशनकार्डधारी प्रतिमाह
8	अंत्योदय अन्न योजना	अति गरीब परिवारों को 1 रूपये प्रति किलो की दर से 35 किलो चावल प्रति परिवार, प्रतिमाह प्रदाय किया जा रहा है।	450000	16 लाख हितग्राहियों को प्रतिमाह लाभान्वित करना ।	15.65 लाख	21600	हितग्राही परिवार प्रतिमाह

निष्पादन बजट वर्ष 2015-16

विभाग- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग  
विभागाध्यक्ष-संचालक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2015-16	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	राशि हजार ₹ में		टिप्पणियां
					वास्तविक	उपलब्धियां	
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	शक्कर वितरण योजना	<p>भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.06.2013 से लेव्ही शक्कर कन्ट्रोल आर्डर समाप्त की गई है एवं फ्रीसेल के माध्यम से शक्कर क्रय कर राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है ।</p> <p>इसी अनुक्रम में राज्य में स्थित शक्कर फैक्ट्री से राज्य सरकार द्वारा सहमति दी गई है ।</p> <p>भारत सरकार द्वारा निर्धारित तय राशि 1850 रूपए प्रति क्विंटल तथा उपभोक्ता मूल्य 1350 प्रति क्विंटल घटाने के पश्चात की व्यय प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन को किया जाना है ।</p>	450000	61 लाख हितग्राहियों को प्रतिमाह लाभान्वित करना ।	58.94 लाख	हितग्राही परिवार प्रतिमाह	313632
10	अंत्योदय अन्न योजनांतर्गत चना का प्रदाय	<p>राज्य के अनुसूचित विकासखण्डों के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंत्योदय एवं प्राथमिक परिवारों के राशनकार्डधारियों</p>	4200000	प्रतिमाह 24 लाख कार्डधारियों को पात्रतानुसार चना उपलब्ध कराना।	22.35 लाख	हितग्राही परिवार प्रतिमाह	1050000

निष्पादन बजट वर्ष 2015-16

विभाग- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग  
विभागाध्यक्ष-संचालक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2015-16	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	राशि हजार ₹ में		टिप्पणियां
					वास्तविक भौतिक	उपलब्धियां वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
		को प्रत्येक माह 02 किलोग्राम ( प्रति किलो 5 रुपये ) की दर से चना का वितरण किया जा रहा है ।					
11	नगरीय क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकान सह गोदाम निर्माण योजना	नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के एकमुश्त भंडारण हेतु पर्याप्त भंडारण सुविधा तथा राशन कार्डधारियों को सुगमता से प्रत्येक माह राशन सामग्री उपलब्ध कराने हेतु 6 टन क्षमता वाले दुकान सह गोदाम का निर्माण ।	30	नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के भंडारण हेतु गोदाम निर्माण कराना ।	-	0	
12	पहुँचविहीन क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में खाद्य भंडारण हेतु सहायता ।	राज्य के ऐसे स्थानों के ग्रामीण जहाँ वर्षाऋतु के दौरान आवागमन अवरूद्ध हो जाते हैं वहाँ खाद्यान्न, शक्कर, अमृत नमक तथा केरोसिन उपभोक्ताओं को सुलभ उपलब्ध कराने की दृष्टि से वर्षा ऋतु के पूर्व अग्रिम भण्डारण किया जाता है ।	25000	वर्षाकाल के दौरान पहुंचविहीन हो जाने वाली उचित मूल्य दुकानों में वर्षाऋतु के पूर्व सार्वजनिक वितरण प्रणाली की 4 माह के आबटन की राशन सामग्री का अग्रिम भंडारण किया जावेगा ।	समस्त 192	11827	पहुँचविहीन दुकानों में भण्डारण
13	नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण	नाबार्ड के सहायता से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न भण्डारण हेतु गोदाम निर्माण किया जा रहा है ।	1000000	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न भंडारण हेतु 10.38 लाख टन क्षमता के गोदामों का निर्माण पूर्ण कराना ।	-	685399	

निष्पादन बजट वर्ष 2015-16

विभाग- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग  
विभागाध्यक्ष-संचालक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2015-16	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	राशि हजार ₹ में		टिप्पणियां
					वास्तविक	उपलब्धियां	
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
14	मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना	गैर अनुसूचित विकासखण्डों के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्त्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों के राशनकार्डधारियों को 02 किलोग्राम 10 रूपए प्रतिकिलो की दर से पीली मटर दाल वितरण किया जा रहा है ।	720000	योजना के जरिए प्रतिमाह 35 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित करना ।	-	478085	वर्तमान में योजना बंद है ।